(Rao Birendra Singh)

to the farmers. But we will try to fix remunerative prices from time to time and there is also a differential between the common variety of cotton and the superior varieties of cotton but that also has to be decided by the Textile Commissioner, as was mentioned by Hon. Members.

I only assure, and through you, the whole House that the Government is fully aware of the importance of cotton crop. The claims of cotton growers in this country made through the Government, whether through the Central Government or through the State Government, fully deserve all our sympathy and assistance in times of calamities.

SHRI BHIKU RAM JAIN : I wanted to know about the protection provided by the Government for cotton production in areas where there is no rainfall and where there is heavy rainfall and where there are cyclones. Are they to depend on nature or is there something which the Government can do to solve the problem of crop failure on account of the vagaries of weather.

RAO BIRENDRA SINGH : Cotton crop is one of the important crops like foodgrains, sugar cane or any other agricultural crop in the country and it gets the same facilities on par with other crops. Water also is given, canal water, tubewell water, for cotton cultivation in some places on a priority basis. There are certain schemes of the Central Government which have been mentioned in the statement for production of good cotton seed. Research is also being conducted and large sums of money are spent on it. Processing units are also set up to help cotton-growers and textile mills. There are cooperatives also which are in the field. There are spinning mills; a large number of them are coming up. Ginning mills are also being set up by private parties, as also by farmers through cooperatives. All this is to help the farmers.

SHRI BHIKU RAM JAIN: This is after the Produce is ready. What I am talking about is at the time of Production. protection to the farmer when he has not yet produced. After production, of course, there are mills, ginning mills, textile mills and so on.

RAO BIRENDRA SINGH : Subsidy is allowed for spraying operations to save the crop. Good seed is being supplied and it is being multiplied. Better and better seeds are also evolved for the farmers. All this takes place. Water is also ensured for cotton crop. Electricity is also being made available to the farmers for growing cotton. Diesel is also made available to the farmers for growing cotton The chemicals that are used for plant protection are also being properly monitored with regard to quality and other things. We try to keep a check on all the needs of the farmer so that he does not suffer because of lack of certain inputs that he needs.

MR. SPEAKER : Mr. Shejwalkar is not present. The House stands adjourned for lunch till 14.20 hrs.

13.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock

The House re-assembled after Lunch at Twenty Four minutes past Fourteen of the Clock

(MR. R.S. SPARROW *in the Chair*)

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : With your permission.

Sir, I rise to announce that Government Business in this House for 21st and 22nd November, 1983, will consist of :

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 and consideration and passing of the illegal Migrants (Determination by Tribunals) Bill, 1983.

(3) Discussion under Rule 1983 regarding statement on rise in prices.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह के लिए जो विषय सूची हाउस के सम्मुख रखी गई है, उसमें निम्न लोक-महत्व के मामलों का उल्लेख नहीं है, मैं उन्हें सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं :-

1. उतरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कई भागों में पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है, पर 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर भी निर्धारित गांवों को उत्तरप्रदेश सरकार शायद ही वर्तमान योजना काल में पेय-जल उपलब्ध करवा पाये, जबकि 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित सूची के अलावा भी लगभग उतने गांव और पेय-जल के संकट से ग्रस्त हैं। इस विशाल समस्या के हल के लिये केन्द्र को उत्तरप्रदेश सरकार को इस योजनावर्ष में लगभग 50 करोड़ रुपये की विशेष अनुदान धनराशि प्रदान करनी चाहिये।

2. उतरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 25 प्रतिशत स्कूल व कालेजों में अध्यापक व प्रधानाचार्य नहीं हैं। जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है, वे स्थानीय व्यक्ति न होने के कारण अपना स्थानान्तरण करवाने में संलग्न रहते हैं। छात्रों का भविष्य ख़राब हो रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को चाहिये कि वह राज्य सरकार को सलाह दे कि राज्य सरकार यहां स्थानीय योग्य स्नातकों की नियुक्ति प्रदान कर इस रिक्तता की पूर्ति करे।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदन अगले सप्ताह इस पर चर्चा करे।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़े जाने के लिये मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं :

1. वर्तमान कानून बिहार में गंगा की 50 मील की लम्बाई में मछली पकड़ कर जीविका अर्जित करने वाले जल-श्रमिकों को शोषण से मुक्त करने में असमर्थ सिद्ध हुआ है। गंगा का यह भाग मात्र दो परिवारों की मिल्कियत बना हुआ है। भागलपुर के 60 गांवों में बसे 40 हजार जल-श्रमिकों से जिनका जीविका-साधन इस भाग में मछली पकड़ना ही है, ये परिवार वर्ष भर में 3 से 4 करोड़ रुपये मनमानी वसूल करते है। इस परम्परा के विरोध के आभास पर ही उन जल-श्रमिकों को पीटा जाता है और उनकी नाव तथा जाल जप्त कर लिये जाते हैं।

2. गंगा में बरौनी कारखाना, भागलपुर नगर आदि का दूषित कचरा गिराने से इस भाग का प्रदूषण मछलियों की संख्या घटाने में सहायक हुआ है। इसके अतिरिक्त फरक्का बराज के कारण हिल्पा इल्शा आदि मछलियों की जाति नष्ट हो रही है। एक तो बराज के निकट बेतहाशा मछली की पकड़ होती है, दूसरे बराज इन मछलियों को ऊपर हिमालय के फुट हिल्प में जाना रोकता है, जहां इनका प्रजनन होता है और जिसके कारण एक समय में इलाहाबाद, कानपुर, हरिद्वार तक पायी जाने वाली ये मछलियां अब इन स्थानों पर पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं।

अतः इनको विनाश से बचाने का उपाय कर जलश्रमिकों की जीविका कायम रखने के लिये सदन में अगले सप्ताह इसपर चर्चा करने का मैं अनुरोध करता हूं।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Pauskura) : Sir, I want to raise the following items to be included in the next week's business-(item No. 10 in to-day's list of Business).

1. The Criminal Law (Amendment) Bill, 1983 should be introduced and passed in this week. Considering the alarming increase of dowry deaths all over the country, the passage of this Bill dealing with dowry deaths brooks no delay. Therefore, I request the Minister of Parliamentary Affairs to include this in the next week's Business.

2. The distress sale of paddy is being reported in various parts of the country, including West Bengal. It is absolutely essential that the F C.I. starts buying on a large scale and adequate money be provided to the State Government as loans so that they can buy on a large scale. Since paddy has just started arriving in the market, unless the buying operations are started right now, the paddy prices are likely to slump in a still bigger way when paddy from the expected good harvest arrives in the market on a large scale. Already sale of a quintal of paddy at Rs. 110 to Rs 120 has been reported in some parts of West Bengal. Therefore, I request that guarantee of remunerative price to growers of paddy be discussed in the next week.

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में दो महत्वपूर्ण विषय शामिल कराना चाहता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना किसानों में बड़ी उत्तेजना है। एक तरफ तो किसानों को उनके गन्ने का दाम अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कुछ मिलों ने तो 1981-82 के सीजन का भी बकाया भुगतान नहीं किया है। पिछले सीजन का भी मई के बाद से कोई पेमेंट नहीं हुआ है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की सिसवा बाजार चीनी मिल के जिम्मे तो 1981-82 का 66 लाख रुपया और 1982-83 का एक करोड़ 30 लाख रुपया किसानों का बाकी है। दूसरी तरफ उस मिल के चलने की भी संभावना नहीं है। मिल क्षेत्र के किसान परेशान हैं कि उनके गन्ने का क्या होगा। राज्य सरकार ने अब तक गन्ने के रेट की भी घोषणा नहीं की है, जिससे अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। गन्ना उगाने वाले किसानों को पिछले भुगतान के बारे में समुचित प्रश्न को अगले सप्ताह चर्चा की जाए।

(2) पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण वहां के मजदूर अपनी जीविका की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे भागों में बड़ी संख्या में जाते हैं। इस तराई क्षेत्र में वन-सम्पदा अपार है। कागज और दफ्ती के लिए उपयुक्त कच्चे माल की कमी नहीं है। चीनी मिलों से खोई और शीरा निकलता है। इस क्षेत्र में भी और खास तौर से गोरखपुर जिले की महाराजगंज फरेन्दा तहसील में यदि कागज और दफ्ती का कारखाना और शीरे से अलकोहल बनाने का कारखाना लगाया जाए, जिससे इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सके और इस पिछड़े क्षेत्र के मजदूरों को काम भी मिल सके।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही हेतु मैं संसदीय कार्य मन्त्री के वक्तव में निम्नलिखित दो मुद्दे सम्मिलित कराना चाहता हूं :

(1) मंडल आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट कई साल पहले आयोग द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। परन्तु सरकार उसपर निर्णय लेने में बराबर टाल-मटोल कर रही है, जिससे करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग चिंतित हैं। सरकार अगले सप्ताह सिफारिशें लागू करने के लिए संसद में घोषणा करे।

(2) बरेली जिले की आंवला और फरीदपुर तहसील तथा बदायूं जिले की बदांयूं और दातागंज तहसील में इस वर्ष अति-वर्षा और नदियों की भयंकर बाढ़ से खड़ी फसलों और मकानों को अत्यधिक क्षति हुई है। पचासों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन इस क्षेत्र की उपेक्षा कर रहा है। प्रत्येक क्षतिग्रस्त परिवार को मकान बनाने ओर फसल की क्षति-पूर्ति हेतु सरकार तुरन्त रुपए की व्यवस्था करे।

श्री **दिगम्बर सिंह** (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित कराना चाहता हूं।

(1) भारत सरकार ने खरीफ को फसल के भाव नियत कर दिए हैं। यह किसानों को पता है। किन्तु खरीफ की फसल के उत्पादन की खरीद प्रारम्भ नहीं हुई है। किसानों से व्यापारी सस्ते भाव पर खरीद रहे हैं। कुछ दिन बाद उत्पादन किसानों के घर न रहेगा। व्यापारी खरीद लेंगे। तब सरकार खरीद प्रारम्भ करेगी। उसका लाभ व्यापारियों को। मिलेगा यह गम्भीर विषय है।

(2) मथुरा में गोवर्धन ड्रेन के कारण पानी विलम्ब से निकलने के कारण खरीफ की फसल नष्ट हुई। रबी की फसल भी तैयार नहीं हुई। यह नाला गहरा नहीं है, यह सम्बन्धित विभाग के अधिकारी स्वीकार कर चुके हैं। यह भी मान चुके हैं कि गहरा होना चाहिए। अनेक वार आश्वासन भी दिए हैं। अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। इसका राजस्थान, हरियाणा और उत्तरप्रदेश से सम्बन्ध है। भारत सरकार सिंचाई मन्त्री जी का इस ओर शीघ्र ध्यान दिलाने के लिये इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए।

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN (Alleppey) : Mr. Chairman, I want to include the following to urgent items in the agenda for the next week.

1 The evil practice of dowry is spreading like an epidemic into the various strata of people. The practice of dowry and cstentaticus marriages is leading to increasing indebtedness and subsoquent ruination of the families. The peaceful family life in our country is fast disappearing and forced suicides and murders of women have increased in alarming proportion. There have been judgment even justifying dowry as a common Indian practice but still the Bill to amend the Dowry prohibition Act 1961 is not introduced. Rape incidents are increasing beyond imagination but the Bill to amend the Criminal procedure Code (With regard to rape and dowry killings) isgetting postponed everyday in the agenda.

2. The public distribution system in Kerala has throughly failed. There is breok-down of ration distribution in many parts of the districts. In Delhi city also ration distribution is very erratic. In the basties very bad stuff is distributed as ration. people are, not getting kerosene here. They are in difficulty.

श्री **चन्द्रपाल शैलानी** (हाथरस) : आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया 21 नवम्बर, 1983 के प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की कार्यवाही में विचार करने हेतु मेरे निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित किया जाय :

(1) उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। खेद का विषय तो यह है कि डाक्टर लोग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इन रोगों का सही पता नहीं लगा पाए जिसके कारण उनका सही इलाज भी नहीं हो पाया। इन मोतों का कारण कभी 'क्रमिक मलेरिया' बताया जाता रहा तो कभी "वइरस" और कभी

(श्री चन्द्रपाल शैलानी)

"मलेरिया फाल्डीफेरम" और बगैर डायग्नोज किए सभी रोगियों को "क्लोरोक्वीन" की गोलियां दी जाती रहीं और कुओं में दवा डालते रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों की जांच कराके दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

2. हमारे देश में बाल-विवाह अधिनियम बनने बावजूद भी हर साल हजारों बाल-विवाह हो रहे हैं। यह कुप्रथा विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा आदि राज्यों में प्रचलित है। चार-चार, पांच-पांच साल की अबोध में बालिकाओं की शादी कर दी जाती है और वे बाल-बधुयें पत्नी नहीं, जीवन भर के लिए बंधुआ मजदूर बन जाती हैं। ये जीती हैं या मरती हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। न मां-बाप, न समाज और न कानून। आखिर ऐसा कानून किस अर्थ का जिसे इतने बड़े पैमाने पर बेरोक-टोक तोड़ा जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कानून को और अधिक सख्त बना कर लागू किया जाय और इस कुरीति के खिलाफ़ जनमत जागृत किया जाय।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया जाय।

1. बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों को बिहार के चीनी मिलों द्वारा करीब अड़तालीस करोड़ रुपयों का पहला बकाया अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

अकेले बाराचकिया चीनी मिल के जिम्मे उस इलाके के 32 हजार किसानों का बकाया करीब ढाई करोड़ जमा है। किसानों को इससे अपार क्षति है तथा इसके चलते उनमें भारी असंतोष है।

इससे चीनी के उत्पादन में भारी क्षति होने की सम्भावना है।

अस्तु इस पर विचार होना चाहिए अगले सप्ताह में कि बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों को बकाया भूगतान हो सके।

2. समूचे देश में गन्ना पिराई का समय करीब आ गया। सरकार द्वारा(केन्द्र और राज्य सरकारों से) अभी तक गन्ने की कानूनी कीमत का ऐलान नहीं हुआ है। इससे किसानों का भविष्य अन्धकार में है। कम से कम 25 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम ऐलान किया जाय, इस पर अगले सप्ताह सदन में विचार होना चाहिए।

****श्री सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से दो महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं :

रेल मंत्रालय ने विगत दिनों नई रेल सेवायें प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। किन्तु अब तक इंदौर से नई दिल्ली के बीच नई रेल सेवा प्रारम्भ नहीं की गई है। इसी प्रकार इंदौर से बम्बई के बीच नई रेल सेवा की मांग सतत की जा रही है। अतएव रेल सेवा में वृद्धि तथा सुविधा में विस्तार किया जाय। तथा विषय कागामी सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जाये। द्वितीय विषय देश में एकता तथा राष्ट्रीय एकात्मकता की आवश्यकता है। इस हेतु...

**The original speech was delivered in Sanskrit.

SHRI BUTA SINGH : Excuse me. I am not getting the translation ; I do not know what you are saying.

श्री सत्यनारायण जटिया : मैंने ट्रांसलेशन की कापी दे दी है। ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : सभापति जी, संस्कृत इस देश की भाषा प्राचीन काल से रही है। इस सदन में इसका अपमान नहीं होना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : इससे पहले तो आप बड़ा अच्छा बोल रहे थे।

सभापति महोदय : इसका ट्रांसलेशन हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री रामलाल राही: आपके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होंगे। अंग्रेजी मीडियम से।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरा कोई भी बच्चा पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। मेरे बच्चे सामान्य स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : संस्कृत तो हमारे देश की प्राचीन भाषा है। इसको ट्रांसलेट करने की व्यवस्था यहां पर होनी चाहिए। संस्कृत का अपमान नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं संस्कृत की इज्जत करता हूं लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी है उसका मैं डटकर विरोध करता हूं। **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN : Why don't yon sit down when I am on my legs ? When I stand, you must sit down. Now the translation is being carried out. The hon. Member may continue his speech.

श्री रामलाल राही : इस देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी है लेकिन उसके विपरीत यहां पर अंग्रेजी में सारा कार्य होता है। पता नहीं इनकी समझ कहां है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरी बात भी आप समझिए। यहां पर हिन्दी का ट्रांसलेशन भी होता है, अंग्रेजी का भी होता है, हर एक का होता है फिर झगड़ा क्या है। आप आए बोलिए।

****श्री सत्यनारायण जटिया** : देश में एकता तथा राष्ट्रीय एकात्मकता की आवश्यकता है। इस हेतु विश्व हिन्दु परिषद के तत्वावधान में एकात्मकता यज्ञ का प्रबोधिनी एकादशी से गीता जयन्ती तक (16 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक) आयोजन किया गया है। 92 उपयात्रायें सहित तीन प्रमुख यात्रायें पचास हजार किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस यात्रा में कोटि-कोटि जन गंगा-जल सहित भारत माता की वन्दना करेंगे। एकात्मकता यात्रा नेपाल स्थित पशुपतिनाथ से दक्षिण में रामेश्वरम् तक, उत्तर में हरिद्वार से आरम्भ होकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में गंगा-सागर से पश्चिम में सोमनाथ तीर्थ तक आयोजित की गई है। पांच हजार से अधिक वर्षों के उपरांत राष्ट्रीय सांस्कृति एकता के लिए यह एकात्मकता यज्ञ आयोजित किया गया है।

अतः आयोजन की सफलता के लिए शुभ-कामना व्यक्त करते हुए एकात्मकता यज्ञ यात्रा के लिए समुचित व्यवस्था करना केन्द्र सरकार

**The original speech was delivered in Sanskrit.

(श्री सत्यनारायण जटिया)

का दायित्व है। यह मैं आग्रह करता हूं। वन्दे भारत मातरम्।

अतएव उक्त विषय आगामी सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जावे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने सरकार की तरफ से जो कार्यसूची पेश की गई है, उसके ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव व्यक्त किए हैं और कहा गया है कि इसमें कुछ मुद्दे और जोड़े जायें। कुछ ऐसे मामले माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूं।

माननीय महिला सदस्यगण, श्रीमती गीता मुखर्जी और श्रीमती सुशीला गोपालन, आप दोनों बहनों ने दहेज के बारे में विधेयक लाने की मांग की है। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल, 1983—डाउरी डैथ्स—इस वक्त दूसरे सदन के सामने विचाराधीन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जितनी जल्दी हो सके पारित करके उसको इस सदन में लाकर पारित किया जाए। उम्मीद है कि दिसम्बर के पहले हफ्ते में यह वहां से आ जाएगा और इस सदन में लाकर हम इसको पेश कर सकेंगे।

जहां तक दूसरे मामलों का सवाल है, जैसे श्री रावत जी ने पीने के पानी की दिक्कत और अध्यापकों का मसला उठाया, श्री मेहता जी ने गंगाजल को बरौनी रिफाइनरी की बजह से अपवित्र किए जाने का मसला उठाया और बहुत से मसले उठाए गए हैं, लेकिन मुझे खेद है कि हम सरकारी कार्यसूची में तो नहीं मगर विचाराधीन विषय के रूप में रख सकते हैं यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमें स्वीकृति दे दे। में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसका उल्लेख करूंगा, ताकि हम इस पर विचार करने के लिए टाइम निकाल सकें। अगले हफ्ते में तो सिर्फ दो ही दिन बाकी है, सोमवार और मंगलवार को ही अधिवेशन होगा और उसके बाद अधिवेशन उठ जाएगा, फिर एक दिसम्बर से 22 दिसम्बर तक अधिवेशन होगा। एक-दो चीजें जैसे कि मंडल आयोग के बारे में कहा गया है, चर्चा से ज्यादा उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि इसके जो निर्णय हुए हैं, उनको लागू करने की कोशिश की जाए। आप जानते हैं कि निर्णय लागू होने की हालात में नहीं है, क्योंकि अभी तो विचाराधीन हैं। जब ये निर्णय हो जायेंगे, तो जरूर हम उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर चर्चा हो, इस बारे में मैं बिजनेस एडवायजरी कमेटी में कहने के लिए तैयार हूं। यदि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय देती है तो हमें चर्चा करने में कोई ऐतराज नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जो निर्णय सरकार ले रही है, उनको सभा के सामने पेश करना चाहिए। आर्टिकल—340 के तहत साभ प्रोवीजन है कि सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय ले रही है, उनको रिकमैंडेशन के साथ सदन में पेश करना चाहिए। केवल चर्चा से ही काम नहीं चलेगा।

श्री बूटा सिंह : आप तो मांग कर रहे हैं कि समय निकाला जाए। इसके ऊपर चर्चा की जाए। उसके लिए मैं खड़ा हूं निर्णयों को इंपलीमेंट कराने के लिए नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री जी कहने का मतलब यह है कि जो चर्चा हो चुकी है और उसके ऊपर जो रिजल्ट निकले हैं, उनको लागू किया जाए।

श्री बूटा सिंह : इसके लिए आपको गृह मंत्री जी से संपर्क करना चाहिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसको करिए और गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, आप गृह मंत्री जी को कहें । इस काम को टाला जा रहा है, काफी आगे बढ़ाया जा रहा है । मंडल आयोग पर बात चलती रहती है, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की जाती है ।

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, आप मेरी सहायता कीजिए । आप मेरे से चर्चा के लिए समय मांग रहे हैं मैं यहां इंपलीमेंटेशन के बारे खड़ा नहीं हुआ हूं ।

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं, वह अलग बात है । वह अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं । यह सब कुछ सोचने के वास्ते बयान कर रहे हैं । जितनी उनकी पावर है, वह करेंगे ।

श्री सूरज भान : आपने सही कहा है, लेकिन गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं । एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए ।

श्री बूटा सिंह : मैंने स्वयं कहा है कि हम सरकार को भी कहेंगे । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितना टाइम इसके लिए निकाला जा सकता वह हम जरूर निकालेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : इसके लिए आपको धन्यवाद ।

सभापति महोदय : कभी-कभी तो धन्यवाद भी देना चाहिए ।

श्री बूटा सिंह : जो गन्ना उत्पादक किसानों की कठिनाई है, कि उनका बकाया नहीं दिया गया है । पिछले अधिवेशन में अध्यक्ष जी के आदेश पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के उच्च-अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद उसका कुछ समाधान निकला था, कुछ पेमेंट्स भी हुई हैं । अभी वह प्रोसेस जारी है । मैं उम्मीद करता हूं—अगर हम उसी तरह से लेते जायेंगे तो बाकी का पैसा भी उनको दिलवायेंगे : इस पर चर्चा करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख दूंगा ।

श्री रामलाल राही : जो चीनी मिलें प्राइवेट सैक्टर में हैं उनसे तो दिलवायेंगे का वचन दे रहे हैं । लेकिन जो पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर में चीनी मिल हैं उनसे पैसा भी किसानों को कब तक दिलवायेंगे ? यह तो सरकार को ही देना है ।

श्री बूटा सिंह : मैं आपके सुझाव को भी वहां रख दूंगा ।

जटिया जी ने कहा है कि इंदौर से ट्रेन शुरू की जाय, मैं इस बात को रेल मंत्री जी से कह दूंगा । एक चीज है जिस पर मुझे कुछ तकलीफ हुई । इसलिए नहीं कि मेरे मन में संस्कृत के प्रति कोई आदर नहीं है या मैं उसकी इज्जत नहीं करता हूं । जो मेरे भाई संस्कृत में बोल रहे थे, उनसे ज्यादा श्रद्धा है, लेकिन मैं इतना कुशल नहीं हूं कि संस्कृत को समझ सकूं ।

श्री रामलाल राही : क्या उसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था ?

श्री बूटा सिंह : ट्रांसलेशन हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मेरी दिलचस्पी उसको समझने की थी, वह किसी यज्ञ के बारे में बोल रहे थे । मुझे ट्रांसलेशन थोड़ा मिला है, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, इनके एक बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें शूद्र शामिल नहीं हो सकते...

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं स्वयं शामिल होकर आया हूं, कौन शूद्र है। यह शूद्रता तो विचारों की है...

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये गंगाजल की बात कहने वाले लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वालों को गंगाजल की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। माँस खाने वाले गंगाजल की बात नहीं कह सकते...

—(व्यवधान)—

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मंत्री जी, क्या शंकराचार्य ने ऐसा भाषण दिया है जिस से शूद्र और दूसरी जातियों में भेद पैदा होता है—

—(व्यवधान)—

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस मुल्क का शंकराचार्य शूद्र को अपमानित कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं सरकार ने उस शंकराचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? संसदीय कार्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि शंकराचार्य ने शूद्रों के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द कहे हैं—

श्री रामलाल राही : सभापति जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

सभापति महोदय : इस तरह से नहीं चलेगा, यह तरीका नहीं है। जो नियम हैं उसके मुताबिक चलिए।

श्री रामलाल राही : मैं आपकी मदद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं मदद लेना नहीं चाहता हूं। जब वक्त होगा तब लूंगा। आपके सामने मेरी यह विनती है कि जब मैं खड़ा हो जाता हूं तो आप बैठ जाया करें। यह वाजिब बात नहीं है। या तो आप कहें कि मैं सुनता नहीं हूं, जब सुनता हूं तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस मसले को आगे रखा जाएगा। इसमें किसी किस्म के मतभेद की बात नहीं है। इसलिए आराम से, रिचुअल से चले, तो दूसरी बातों पर भी विचार हो सकेगा—

श्री सूरज भान : एक नया मसला खड़ा हो गया है और मंत्री महोदय उसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ऐसी बात कही है—

—(व्यवधान)—

श्री रामलाल राही : मंत्री जी ने कहा है कि शंकराचार्य ने कहा है कि शूद्र शामिल नहीं होंगे। क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि शूद्र कौन है ? अगर यह स्पष्टीकरण दिया है तो उसको भी साफ करना चाहिए, भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इसी तरह का भ्रम साम्प्रदायिकता व सामाजिक भेद बढ़ाने में मदद करता है। क्या ऐसा तो नहीं साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने की साजिशें हो रही हैं।

*(Interruptions)***

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions)***

MR. CHAIRMAN : Kindly sit down. None of this is going on record. Please don't take the time of the House.

*(Interruptions)***

**Not recorded.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा प्वाइंट आंफ आर्डर है ।

सभापति महोदय : प्वाइन्ट आफ आर्डर तो अलहदा चीज है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम आप से आज्ञा मॉग रहे हैं ।

सभापति महोदय : पहले मेरी बात सुन लीजिए और बाद में प्वाइंट आफ आर्डर लाइए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमने आप की बात सुन ली है । अब आप हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर सुनिये ।

सभापति महोदय : अब आप बैठिये । पहले मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : लोगों में भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मंत्री जी ने भ्रम पैदा नहीं किया है । बल्कि यह खुद भ्रम पैदा कर रहे है ...**(व्यवधान)**

श्री रामलाल राही : शूद्र के कथन में क्या स्पष्टीकरण शंकराचार्य जी ने दिया है? यह मंत्री जी बताएं। ···**(व्यवधान)** क्या ये जानबूझ कर साम्प्रदायिकता की भावना पैदा कराना चाहते हैं?·····**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : You don't let me finish.

मेरी बात खत्म नहीं होने दी और आप बीच में बोल पड़े ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

सभापति महोदय : लिख कर भेज दें या बोल दें बात वही है । ऐसी बात नहीं है । पहले आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री रामलाल राही : मेरी एक सैकेण्ड की बात है । सुन लेवें, गम्भीर स्थिति बन रही है ।

सभापति महोदय : एक सैकेण्ड की बात कैसे सुन लूं । यह जो हाऊस की डिगनिटी है, उसको तो कायम रखा जाए । मैं खड़ा हूं और आप चार दफा उठ कर खड़े हो जाते हैं और बीच-बीच में बोलते हैं, यह ठीक नहीं है । आप एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं अगर इस तरह न बोलें । इधर के हों या उधर के हों, यह हाऊस आपका है और हाऊस ठीक से कैसे चलें, यह आपको देखना है ।

It is the dignity of the Members of Parliament sitting here.

कम से कम इसको तो आपको भंग नहीं करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि प्वाइंट आफ आर्डर है । प्वाइंट आफ आर्डर चल सकता है मगर वह कोजेंट हो, ठीक हो और कायदे के मुताबिक हो ।

Under what clause do you want to have your point of order ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 222 ।

सभापति महोदय : इसका मतलब क्या है?

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अण्डर रूल **जीरो** समझ लीजिए ।

सभापति महोदय : आप कृपया करके बैठ जाइए... **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हिन्दी की कापी हमारे पास भिजवा दीजिए ।

सभापति महोदय : तो उसको देख कर ही पूछते । रूल 222 या है, यह एक्सप्लेन कर दीजिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमें इसकी इजाजत दीजिए ।

सभापति महोदय : मैं आपको बता दूं कि रूल 222 में आपको पहले नोटिस देना चाहिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कोई जरूरी नहीं है । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है और एक तत्काल बात हुई और मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं...(**व्यवधान**)

SHRI BUTA SINGH : It is necessary because the Hon. Member must know what he is going to say and what he is talking about. I Rule 222 is a motion for privilage. Are you on privilege ?

SHRI JAGPAL SINGH : Privilege of the Member.

SHRI BUTA SINGH : Are you on privilege ? If you are.....

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please listen.

(*Interruptions*)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

सभापति महोदय : पहले सुन लीजिए । फिर बाद में बोल लीजिए ।

SHRI BUTA SINGH : Sir, the Hon. Member has tried to raise this point of order under Rule 222. First of all the Hon. Member does not know that point of order cannot be raised under 222. Under 222 what can be raised is privilege motion.

SHRI JAGPAL SINGH : He is raising a point of order. He is raising a privilege Motion.

(*Interruptions*)

15.00 hrs

श्री जगपाल सिंह : मैं इस पर यह कहना चाह रहा हूं....

SHRI R.L. BHATIA : He does not know what he is speaking.

श्री जगपाल सिंह : एक मिनिस्टर ने यह बात कही है कि देश के किसी शंकराचार्य ने यह बात कही है । मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि वह यह बतायें कि किस शंकराचार्य ने यह बात कही है । अगर किसी ने नहीं कही है तो यह अगेन्स्ट द मिनिस्टर प्रिविलेज मोशन बनता है । यह प्रिविलेज मोशन अण्डर रूल 222 बनता है ।

SHRI BUTA SINGH : Not like this. (*Interruptions*) Yes ; I am prepared to face the privilege motion.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति जी, हम मंत्री जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा रहस्य सदन के सामने रखा है कि एक शंकराचार्य यह कह रहे हैं । मैं उनका विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि किस शंकराचार्य ने ये अपमान-जनक शब्द कहे हैं । अगर किसी शंकराचार्य ने ये शब्द नहीं कहे हैं तो इस शब्द को कैसे गुमराह किया जा रहा है । हमें कैसे गुमराह किया जा रहा है? अगर वे यह सत्य बोल रहे हैं तो हमें बतायें । देश में शूद्रों का अपमान हजारों वर्षों से चला आ रहा है और आज भी हो रहा है और इस हाउस में आज आप यह कह रहे हैं तो हमें बतायें कि किस शंकराचार्य ने यह कहा

है। हम आपके प्रति कोई गलत धारणा नहीं रखते क्योंकि आपने कम से कम सत्य बात को यहां रखा। हम आपसे बस यह जानना चाहते हैं कि वे कौन शंकराचार्य हैं जिन्होंने यह कहा है? यह बड़ा सीरियस और गम्भीर मामला है।

SHRI R.L. BHATIA : Is he speaking about the point of order ?

सभापति महोदय : आराम से सुनिए, ऐसे शोर करने से फायदा नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : हम शोर नहीं कर रहे हैं। आप यह बतायें कि चारों में से वे कौन-से शंकराचार्य हैं? आप किसी का नाम लीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति जी, वाद-विवाद बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी को यह बताना चाहिए।

सभापति महोदय : पांच मिनट तक मैंने आपकी सुनी है, अब आप मेरी बात भी सुनिए। बात तो यह थी कि आपने यह बताना था कि आपका प्वाइंट आफ आर्डर किस रूल के तहत आता है। इसके लिए भाषण की जरूरत नहीं थी। आपने यह बात बतानी थी कि इस रूल के तहत आपका प्वाइंट आर्डर बनता है।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : मैं आपके द्वारा मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे उन शंकराचार्य का नाम बतायें कि जिन्होंने यह कहा है कि एकात्मता यज्ञ यात्रा में वे लोग भाग नहीं ले सकते।

SHRI R.L. BHATIA : They are unnecessarily wasting the time of the House. They do not know what they are talking about, and under what rule.

सभापति महोदय : आप मेरे द्वारा बात कर ही नहीं रहे हैं। मैं तो एक आनरेबल मेम्बर श्री सोनकर शास्त्री से बात कर रहा था। इसमें आपके इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। मैं एक से बात खत्म कर लूं तब आप बात करें।

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, आप आराम से बताइए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 222 में लिखा है "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा जिसमें या तो किसी सदस्य के, या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो।"

SHRI BUTA SINGH : It has to be read with the next rule. You cannot read rule 222 alone.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : नियम 222 में कहा जा सकता है।

सभापति महोदय : आराम से बताइए कि कौन सा आर्डर है, उसके बाबत हम जवाब देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमने तो बता दिया है।

श्री बूटा सिंह : सभापति महोदय, यह खामखाह बबंडर बना रहे हैं, बात छोटी सी है। माननीय जटिया जी ने मसला उठाया था जो आफिशियल विजनेस के बारे में था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कुछ शब्द संस्कृत के कहे। मैं संस्कृत का इनसे ज्यादा सम्मान करता हूं, पूरा आदर करता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : यह मुझसे ज्यादा आदर करने की बात आई कहां से ?

श्री बूटा सिंह : मेरी बात सुनिए। मुझे उन शब्दों की समझ नहीं लग रही थी। मैंने उसका ट्रांसलेशन चाहा। ट्रांसलेशन पहले आंगुल भाषा में आ रहा था। जब तक हिन्दी में उसका ट्रांसलेशन आया तब तक इनका वक्तव्य समाप्त होने वाला था। मैंने माननीय सदस्य से जानना चाहा कि एकात्मता यज्ञ की बात की गई है तो इसमें आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक अखबार में एक शंकराचार्य जी का ऐसा उपदेश सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि था...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अखबार में पढ़ा ?

श्री बूटा सिंह : ठीक है पढ़ने और सुनने में ज्यादा अन्तर नहीं है। मैं मुजरिम सही लेकिन मुझे अपनी बात तो कहने दी जाए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि अखबार में सुना नहीं पढ़ा होगा।

श्री बूटा सिंह : चलिए पढ़ा सही, सुनने-पढ़ने में ज्यादा अन्तर नहीं है। एक शंकराचार्य जी ने यह कहा था कि यह हिन्दू यज्ञ है और इसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं आ सकते।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह नहीं कहा।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : एक बार नहीं हजार बार कहा है।

श्री बूटा सिंह : मुझे अपना सेंटेंस तो पूरा कर लेने दीजिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि नहीं कहा तो क्या उन्होंने संस्कृत में यह कहा है कि किसी ने ऐसा नहीं कहा। यह मैं अभी सुना ही रहा था कि सभी ने मेरे ऊपर बौछार कर दी प्रश्नों की। मैं अभी अपना एक वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था।

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो): मिस अण्डरस्टेण्डिंग।

श्री बूटा सिंह : यदि माननीय सदस्य इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं तो विजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस यज्ञ से। अगर किसी वर्ग-विशेष ने यज्ञ किया है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज के हिन्दुस्तान में कोई शूद्र नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह तो हम भी मानते हैं।

श्री बूटा सिंह : जितनी जातियां हैं वे सब हिन्दू हैं। यह हमारा संविधान कहता है।... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप यहां किसको भाषण दे रहे हैं। इस भाषण की इस वक्त इस सदन में आवश्यकता क्या है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे बोलने दीजिए। जटिया जी का बयान मैंने पढ़ा है। इसमें संस्कृत में कुछ नहीं कहा गया। इसमें शंकराचार्य जी कहां से आ गए बीच में ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जटिया जी का बयान मैंने पढ़ा, इसमें शंकराचार्य जी कहां से आ गए ?...(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : यदि बाजपेयी जी ऐसा सर्टीफिकेट देने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : शंकराचार्य जी ने कहा है कि शूद्र और कुत्ते-बिल्ली में कोई फर्क नहीं हैं। गीता प्रैस गोरखपुर से कल्याण नाम की एक पत्रिका निकलती है, उसमें अनेको बार उन्होंने लिखा है।...(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस मामले को नया मोड़ दिया जा रहा है।—(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : शंकराचार्य जी ने एक बार नहीं हजारों बार कहा है। मैं इनको दिखा सकता हूं।—(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह तो आपका कर्तव्य है कि मुकदमा चलाए। आप इसमें क्यों तूफान पैदा कर रहे हैं?

श्री चन्द्रपाल शैलानी : यह मामला राजनीति से प्रेरित है। इसका सदन से कोई वास्ता नहीं है।....(**व्यवधान**)

श्री रामलाल राही : मुझसे क्या नाराजगी है जो बार-बार आज्ञा माँगने पर भी कुछ कहने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी ने शंकराचार्य के बारे में जिक्र करके यहाँ पर एक विवाद पैदा कर दिया और उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या यह बात कह करके मंत्री जी इस देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक तनाव निरन्तर बढ़ रहा है। उसमें आग में और घी का काम तो नहीं करना चाहते हैं?

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।.... नाट अलाउड।

****(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपने पांच मिनट के लिए इस चेअर की बेइज्जती की है। आप हौसला रखो, सुनने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए।

श्री रामलाल राही : मैं तो सुनता रहता हूं।....(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह जगह झगड़ा करने की नहीं है। यह जगह ढंग से चलने की है। एक-एक प्वाइंट पर आप झगड़ा करेंगे तो यह हाउस नहीं चल सकता। मेरी तरफ से दोस्ताना सुझाव है कि ऐसा मत करो।

श्री रामलाल राही : सब की तरफ बराबर देखा जाए। जब आपकी निगाह में मैं नहीं आता तो खड़ा होना पड़ता है——मैं चेयर का बहुत आदर करता हूं।

सभापति महोदय : आपने सबसे ज्यादा टाईम लिया है। आप हाउस का समय खराब कर रहे हैं। अब इस बात को ज्यादा तूल न दिया जाए। अब मैं किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी जजमेंट दे दूंगा। आप आराम से बैठिए। आपने जो कुछ कहना था कह लिया। इन्होंने भी कह दिया है। मैंने नोट कर लिया है। अब आप आराम से सुनिए। जो आपने कहा है मैंने नोट कर लिया है। उसके ऊपर और गौर करना होगा। बाद में मैं खुद कहूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कौन शंकराचार्य हैं जो ऐसा कह रहे हैं? मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हमें यही कहना है कि हम लोगों के हित की बात कही है।

सभापति महोदय : पहले मिनिस्टर साहब को जो कहना है कह लें। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है।

**Not recorded.

श्री बूटा सिंह : जहां तक हमारा सवाल है हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिसने कहा था :

हिन्दू को तुर्क को राफजी इमान साफी
मानस की सम एक ही पहचान है ।

I Will take all these matters before the BAC. If they can find some time, we will welcome discussion on any subject.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : We have raised three points but he has replied to only one point. I am glad that the Criminal Law Amendment Bill of 1980 is going to come today. But we have raised the point about the Criminal Law Amendment Bill, 1983. The Minister has said that it will pass through Rajya Sabha and he expects it to be here by December, 1983. We want that it should definitely be passed in this session.

My. hon friend Mrs. Gopalan has raised the question of amending the Dowry prohibition Act. That Bill has not come though the report has been presented long back. We want that the amendment Bill should also be introduced in this session.

SHRI BUTA SINGH : I will find out from the Law Ministry at what stage the Bill is.

15.19 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Fifty-second Report.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : (Alleppey) The previous Act was never amended. The Committee has categorically stated that an amendment to that Act is required. The Government has not taken any decision on that.

SHRI BUTA SINGH : I shall talk to the concerned Minister. I beg to move :

"That this House do agree with the fifty-second Report of the Business Advisory Ccmmittee presented to the House on the 17th November, 1983."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House do agree with the fifty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 17th November, 1983."

The Motion was adopted.

15.20 hrs.

(CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL

As reported by the Joint Committee

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now legislative business will start.

Shri P. Venkatasubbaiah.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Sir I now have a sigh of relief. I was anxious whether I will get a chance to move this Criminal Law (Amendment) Bill, 1980. At the outset, I may inform the House that it has been the intention of the Government to bring forward this Bill before the House as expeditiously as possible but due to circumstances beyond our control, we could not introduce this Bill earlier than this.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : What circumstances ?

SHRI P. VENKATASUBBHAIAH : Because of the arrangement in the List of Business and all that. That is the reason. That is why I was waiting with bated breath whether I will be able to introduce this Bill before 3.30 p.m.

Mr Deputy Speaker, Sir, I beg to move: "That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, and the Indian Evidence Act 1872, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."